संख्याः —— /XII(1)/2017–96(06)/2015–टी0सी–II

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून दिनाँकः29 मई, 2017

विषयः 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत कन्टीजेन्सी के उपभोग/व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–G–39011/4/2015–FD दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 एवं इस संबंध में पंचायतीराज अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–391/XII(1)/2016-96(06)/2015-T.C-II दिनांक 12.04.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि में 10 प्रतिशत धनराशि कैन्टीजेन्सी मद में अनुमन्य की गयी है जिसके उपभोग एवं व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मदें/जारी निर्देशों के क्रम में दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है।

2– अतः निदेशक, पंचायतीराज के पत्र संख्या–1154/पं0–2/लेखा(180/2)/14वां वित्त/2015–16, दिनांक 03.09.2016 एवं पत्र संख्या–1198/पं0–2/लेखा(180/2)/14वां वित्त/2015–16, दिनांक 08.09.2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या–391/XII(1)/2016-96(06)/2015-T.C-II दिनांक 12.04.2016 के बिन्दु संख्या–2 एवं 10 में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

1. **बिन्दु संख्या–2** जिन ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रू0 20 लाख/प्रतिवर्ष हस्तान्तरित है, के स्थान पर रू0 06 लाख प्रतिवर्ष प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल एक ही कम्प्यूटर क्रय किया जायेगा। कप्यूटर का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, तथा जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व में ही कम्प्यूटर क्रय कर लिया गया है उन ग्राम पंचायतों में कोई नया कम्प्यूटर पुनः क्रय नहीं किया जायेगा।

2. **बिन्दु संख्या–10** जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिर्पोटिंग एवं ऑडिट के कार्यों हेतु प्रत्येक विकासखण्डों (95 विकासखण्ड) में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत आऊटसोर्स एजेंसी के माध्यम से 01 कनिष्ठ अभियंता एवं 01 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की जायेगी। आउटसोर्स से तैनात होने वाले कार्मिक पी.आर.डी./उपनल से तैनात नहीं किए जायेगें। आऊटसोर्स एजेंसी से कार्मिक तैनात किए जाने हेतु चयन प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुसार अपनाई जाएगी। शासनादेश के तहत यथा आवश्यक कान्ट्रेक्ट तत्काल किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों में सी.एस.सी. (कॉमन सर्विस सेन्टर) हों वहाँ जॉब वर्क के आधार पर उक्त कार्यों हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधनों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग

क्रमशः–2

की संस्तुतियों के क्रम में 10 प्रतिशत कैन्टीजेन्सी के सापेक्ष निदेशालय को 0.5 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई थी, में संशोधन करते हुये 2 प्रतिशत धनराशि निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। निदेशालय को प्राप्त होने वाली 2 प्रतिशत धनराशि से अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिर्पोटिंग एवं ऑडिट के कार्यों के साथ प्रत्येक विकासखण्ड में आऊटसोंसिंग के आधार तैनात किये जाने वाले कनिष्ठ अभियंता एंव डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का वार्षिक व्यय का वहन भी किया जायेगा। Service Provider का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

3– पूर्ववत जारी शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–16/XXVII/2016 दिनांक 29/05/2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:177 XII(1)/2017–96(06)/2015–टी0सी–II तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 शर्मा)
उप सचिव।